न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती शंकुतला आर.ए.एस.

अनवान –

01– केसरसिंह पुत्र श्री बजरंगसिंह आयु 32 वर्ष जाति राजपूत निवासी 11 बी.एल.डी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान ।

-प्रार्थी-

बनाम-

01– बजरंगसिंह पुत्र श्री श्योदान सिंह जाति राजपूत निवासी मझाउ पोस्ट आफिस मझाउ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झनु राजस्थान ।

02– मनोहरसिंह पुत्र श्री बजरंगसिंह जाति राजपूत निवासी 11बी.एल.डी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान

03– शीला कँवर पत्नी बजरंगसिंह जाति राजपूत निवासी 11बी.एल.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान

04– किरण कँवर पुत्री बजरंगसिंह पत्नी संदीपसिंह जाति राजपूत निवासी गांव न्यू गली तहसील तारानगर जिला चूरू राजस्थान

05– राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान

06– उपपंजीयक श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान

-अप्रार्थीगण-

उपस्थिति- 01– श्री नरेश कुमार पूरी, वकील प्रार्थी

02– पैराकार राज, तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट)

राजस्व प्रकरण संख्या – 35/2022 निर्णय दिनांक – 20/12/24

(जी.सी.एम.एस.-2023/00100)

::-निर्णय ::-

प्रकरण के तथ्य संक्षेम में इस प्रकार है कि-

प्रार्थी के द्वारा एक वाद पत्र अनवानी माननीय न्यायालय में पेश किया है जिसमें प्रार्थी के सफल होने की पूरी पूरी आशा व आधार है इस प्रार्थना पत्र को वाद पत्र का अभिन्न अंग माना जाकर साथ में पढा जावे। अप्रार्थी सं. 1 बजरंगसिंह के नाम से वाके चक 11 बी.एल.डी. तहसील श्री विजयनगर का मु.न. 29 प.न. 210/404 का कि.न. 1/3 का 0.133है. कमाण्ड व मु.न. 28 प.न. 211/404 का कि.न. 1 ता 10 प्रत्येक 0.253 है., 15/2 का 0.101 हैक्टर इस प्रकार कुल 2.764 है0 भूमि कमाण्ड खातेदारी में 4/5 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 का खाता सं. 32 में है एंव शेष 1/5 हिस्सा भूमि व मनोहरसिह के नाम से दर्ज है। यहां यह बताना उचित समझता हूँ कि उपरोक्त पैरा सं. 2 में वर्णित भूमि अप्रार्थी सं. 1 बजरंगसिंह को विरासत में प्रार्थी के पूर्वजो से प्राप्त हुई है जो कि उपरोक्त भूमि चक 11 बी.एल.डी. के मु.न. 28 व 29 का रकबा पूर्व में प्रार्थी के परदादा श्री श्योदान सिंह पुत्र श्री नारायणसिंह के नाम से दर्ज था जो कि प्रार्थी के दादा श्योदानसिंह का देहान्त वर्ष 2007 में हो गया उनके नाम से दर्ज भूमि उनके वारिसो में औद्य होने पर उपरोक्त पैरा सं. 2 में वर्णित भूमि अप्रार्थी बजरंगसिंह के नाम से दर्ज हुई चूँकि उपरोक्त भूमि जद्दी जायदाद है इसमें प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण प्रत्येक का बराबर का हक वा हिस्सा होने से अप्रार्थी मनोहरसिंह के द्वारा अपना 1/5 हिस्सा को अप्रार्थी सं. 1 से प्राप्त कर लिया जो कि अप्रार्थी सं.

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.24 09:57:38 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

1 से अप्रार्थी सं. 2 के नाम से दर्ज हो चुका है इसी प्रकार प्रार्थी का भी जद्दी जायदाद में अप्रार्थी सं0 1 के नाम से दर्ज 4/5 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा बनता है व इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 3 व 4 भी अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज 4/5 हिस्सा में से क्रमशः 1/5, 1/5 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है प्रार्थी अपना हक वा हिस्सा की भूमि पर स्वंय को खातेदारी अधिकारो की घोषणा के लिए अनवानी वाद लाने का विधिक अधिकारी है। चूँकि उपरोक्त प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 2 में वर्णित भूमि में अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज 4/5 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा बनता है जिसे प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 के जीवनकाल में ही प्राप्त करने का अधिकारी है व उपरोक्त भूमि जद्दी जायदाद होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 प्रत्येक का बराबर बराबर हक वा हिस्सा होने से अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा उक्त भूमि का घरेलू तौर पर बाहमी बंटवारा सभी अप्रार्थीगण एंव प्रार्थी की सहमति से काश्त की सुविधा व खाला, रास्ता आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया हुआ है चूँकि उक्त रकबा की सिंचाई सुविधा के लिए नाका मु.न. 28 का कि.न. 21 में है जिससे खाला/आन्तरिक आड अन्य किलाजात में जा रही है जिसको ध्यान में रखते हुए बाहमी बंटवारा प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 में किया हुआ है जिसके अनुसार प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के कब्जा काश्त में निम्नानुसार भूमि है -

01- बजरंगसिंह चक 11बी.एल.डी. मु.न. 210/404 (29) कि.न. 1/3 का 0.133है. एंव मु.न. 211/404 (28) कि.न. 5/0.253है. कि.न. 4/0.167 हैक्टर।

02- मनोहर सिंह चक 11 बी.एल.डी.मु.न. 211/404 (28) कि.न. 4/0.086 है0. 3/0.253है0 कि.न. 2/0.214 हैक्टर।

03- शीला कॅवर व किरण कॅवर चक 11 बी.एल.डी. का मु.न. 211/404 (28) कि.न.6/0.2538.7/0.2538, 8/0.2538. 9/0.2458. 15/2 का 0.101 हैक्टर।

04- केसर सिंह चक 11 बी.एल.डी. का मु.न. 211/404 (28) कि.न.2/0.039 है. कि.न. 1/0.253है. कि.न. 10/0.253 है. कि.न. ,9/0.008.

उपरोक्तानुसार बाहमी बंटवारा में भूमि आने पर इसी अनुसार कब्जा काश्त में आयी भूमि पर प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण काबिज होकर निरन्तर ,साधिकार, शांतिपूर्वक सभी के ज्ञान में व सहमति से काबिज चले आ रहे है उपरोक्त भूमि जो कि प्रार्थी के कब्जा काश्त में आयी पर प्रार्थी काबिज हो काश्त कर रहा है जिसे प्रार्थी ने अपना मानते हुए इसमें अपना अथाह परिश्रम व धन खर्च कर इसे संवारा, सुधारा कृषि योग्य बनाया है व इसमें अनेक प्रकार की सुविधाए स्थापित की है। प्रार्थी के द्वारा किये गये सुधारो की बदौलत भूमि के किस्म में सुधार हुआ है व अच्छी पैदावार होने लगी तथा कीमतो में आशातित वृद्धि हो चुकी है। प्रार्थी के द्वारा समय समय पर अनेक अवसरो पर अप्रार्थी से सम्पर्क कर जद्दी जायदाद को हिस्साअनुसार व बाहमी बंटवारा अनुसार पृथ्क पृथ्क दर्ज करवाने के लिए कहा जाता रहा जिस पर अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा आश्वासन दिया जाता रहा कि भूमि किलावाईज बांटकर दी हुई है जिस पर तुम लोग काबिज चले आ रहे हो किसी प्रकार की [illegible] है और ये जमीन तुम्हारी ही है तुम्हारे पास ही रहनी है [illegible] की बात [illegible] है जब कभी गांव में राजस्व कैम्प आदि लगेगा तो तहसीलदार के समक्ष [illegible] पृथक दर्ज करवा लेगे जिस पर प्रार्थी सद्भावी विश्वास करता रहा एवं समय व्यतित होता रहा है। अर्सा करीब तीन माह पूर्व पंचायत में राजस्व कैम्प [illegible] आयोजन होने पर जब प्रार्थी ने पुनः अप्रार्थीगण से सम्पर्क कर इस बाबत कहा तो अप्रार्थीगण कभी किसी कार्य में व्यस्त होने का व कभी बिमारी का व कभी घर पर जरूरी कार्य होने आदि की बहानेबाजी

उपखण्ड अधिकारी
श्री बिज..

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.24 09:57:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

करके टाल मटौल करते रहे व आश्वासन मात्र देते रहे जिस पर प्रार्थी सद्‌भावी विश्वास करता रहा है किन्तु अब अर्सा करीब एक सप्ताह पूर्व अप्रार्थी सं. 1 व 2 खेत में अपने साथ कुछ आदमीयों को लेकर आए व प्रार्थी के कब्जा काश्त की सुधरी हुई भूमि दिखाकर विक्रय प्रस्ताव आदि करने लगे तो प्रार्थी ने उन्हे उक्त भूमि जद्दी जायदाद होना व भूमि का बाहमी बंटवारा में प्रार्थी के कब्जा काश्त में होने व प्रार्थी के भूमि को किसी प्रकार विक्रय करने में इच्छूक नहीं होने बाबत कहा तो एकबार तो वे लौग वहां से चले गये जिस पर प्रार्थी ने मौतबीरान व्यक्तियों की पंचायत कर अप्रार्थीगण से बाहमी बंटवारा अनुसार भूमि पृथक पृथक किलावाईज दर्ज करवाने एंव बिना विधिक विभाजन किये व पृथक पृथक दर्ज करवाये किसी भाग को विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित नहीं करने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण सं. 1 ने ऐलानिया धमकी दी कि वह भूमि अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में नुमाईशी दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाते हुए अन्य किसी व्यक्ति को आने पोने दामो में विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित कर देगा व प्रार्थी को प्रार्थी के साधिकार, निरन्तर, शांतिपूर्वक कब्जा में चली आ रही भूमि से महरूम एंव बेदखल जबरन कर देगा व गुण्डा प्रवृति लौगो को प्रार्थी के कब्जा काश्त की सुधरी हुई भूमि पर जबरन बलपूर्वक विधि विरूद्ध तरीको से काबिज कर प्रार्थी को कब्जा काश्त से व हको की भूमि से महरूम एंव बेदखल जबरन कर देगा बस यही तारीख बिनाए मुखास्मत वाद कारण है। व अब प्रार्थी के पास अनवानी वाद लाने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं रह गया है। चूँकि पैरा सं. 2 में वर्णित भूमि जद्दी जायदाद है जिमसें अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज 4/5 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा बनता है व इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 3 व 4 का भी क्रमशः 1/5, 1/5 हिस्सा भूमि बनता है व इसी अनुसार बाहमी बंटवारा करते हुए पैरा सं. 4 में वर्णितानुसार बाहमी बंटवारा भी किया हुआ है व प्रार्थी के कब्जा काश्त में चक 11 बी.एल.डी. का मु.न. 211/404 (28) कि.न. 2/0.039 है. कि.न. 1/0.253है. कि.न. 10/0. 253 है. कि.न.,9/0.008 है भूमि आयी है जिस पर प्रार्थी साधिकार, निरन्तर काबिज चला आ रहा है इसलिए प्रार्थी उक्त भूमि का स्वंय को खातेदार टैनेन्ट घोषित करवाने एंव मुताबिक डिकी उक्त भूमि अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने का विधिक अधिकारी है किन्तु अप्रार्थीगण उक्त भूमि को अन्य को विक्रय व अन्य प्रकार से अन्तरित करने व प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है यदि ऐसा करने में वे सफल हो जाते है तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा काश्त में भारी असुविधा होगी तृतीय पक्ष के हित सृजित होने से पक्षकारान के मध्य विवाद, मुकदमाबाजी बढेगी, खर्च बढेगा जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने पर अप्रार्थीगण के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा इसलिए प्रथम –दृष्टया प्रकरण भी प्रार्थी के पक्ष में है । प्रथम –दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति तीनो ही महत्वपूर्ण बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है एंव पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर होकर अन्दरमियाद पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद ग्रस्त भूमि चक 11 बी.एल.डी. तहसील श्री विजयनगर का मु.न. 29 प.न. 210/404 का कि.न. 1/3 का 0.133 [illegible] व मु.न. 28 प.न. 211/404 का किन. 1 ता 10 प्र[illegible] 0.253है [illegible]/2 [illegible] 0.101है. इस प्रकार कुल 2.764 है0 भूमि या इसके किसी भाग को अप्रार्थी[illegible] [illegible] हित अनिधि के माध्यम से अन्य को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित करने से बाज एंव ममनू रहे व मौका एंव रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रख[illegible] के आदेश पारित किये जाने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.24 09:57:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा नोटिस की विधिवत् होने के बावजूद भी अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 02 ता 04 की ओर से श्री ओम धायल द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, परन्तु जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण संख्या 05 राज पैरोकार राज द्वारा स्टेट पक्ष की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो एवं कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया और अधिवक्ता प्रार्थी बहस सुनी और निष्कर्ष रूप में यह पाया कि विवादित भूमि चक 11 बी.एल.डी. तहसील श्री विजयनगर का मु.न. 29 प.न. 210/404 का कि.न. 1/3 का 0.133 है. कमाण्ड व मु.न. 28 प.न. 211/404 का किन. 1 ता 10 प्रत्येक 0.253है., 15/2 का 0.101 है. इस प्रकार कुल 2.764 है0 भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 के नाम से दर्ज है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के संयुक्त कब्जा काश्त में है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विवादित भूमि खुर्द बुर्द करने पर अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी एवं ना पूरा होने वाला नुकसान भी प्रार्थी को होगा तथा अनावश्यक मुकदमे बाजी बढेगी, सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को वर्जित किया जाता है कि वे चक 11 बी.एल.डी. तहसील श्री विजयनगर का मु.न. 29 प.न. 210/404 का कि.न. 1/3 का 0.133है. कमाण्ड व मु.न. 28 प.न. 211/404 का किन. 1 ता 10 प्रत्येक 0.253है., 15/2 का 0.101है. इस प्रकार कुल 2.764 है0 भूमि की रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय तक बनाये रखेगे। तहसीलदार श्री विजयनगर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20/12/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शंकुतला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.24 09:57:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner